Z 10060

S-39

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

20000

एडवोकेट

एडवोकेट

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 740404

कोषाधिकारी

गवाहों के बयानों के

विक्रय–मूल्य – 46,66,000/–

स्टाम्प – 3,26,700/–

परगना व तहसील – दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

विक्रय–विलेख

1. भूमि प्रकार – कृषि
2. परगना व तहसील–दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ0 प्र0)
3. ग्राम चमरावली रामगढ
4. सम्पत्ति का विवरण–आराजी खसरा संख्या–39
5. मापन की इकाई – हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.3577 हेक्टेयर
7. सडक की स्थिति – (परिशिष्ट के अनुसार) ....रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) – X
9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
10. पेडो का मूल्याकन– X
11. निर्माण का वर्ष – X
12. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है–नही
13. विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 29 2000
स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया
उप राकड़िया

[illegible]

[illegible]

बनामा 4666000 फीस रजि0 3000
उजरत 20 योग 5020 शब्द लगभग 80
श्री श्री किशन
पुत्र श्री किशनलाल पेशा खेती
निवासी उदयवाला क0 5150
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 23/5/08
समय मध्य 2 व 3 बजे प्रस्तुत किया।

[signature] सब रजिस्ट्रार दादरी
23/5/08

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु0 4666000
~~जिसमें से~~ .... चैक ब्यौरा
~~नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त~~ श्री ~~श्री किशन~~ [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740405

प्रथम पक्ष की संख्या – (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

श्रीकिशन पुत्र श्री किशनलाल निवासी ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ0 प्र0।

व्यवसाय – खेती

क्रेता का विवरण

एंकर इन्फ्राप्रोजेक्ट लि0, कार्यालय स्थित–1202, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस0 बी0 सिंह पुत्र श्री एस0 पी0 सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ उ0 प्र0।

व्यवसाय – व्यापार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 30 रु0 20000

स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740406

मैं कि श्रीकिशन पुत्र श्री किशनलाल निवासी ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र०। (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) के है:–

जो कि विक्रेता अपनी भूमि खाता सं0–14 खसरा संख्या–39, रकबा 3.7280 हेक्टेयर मे अपना शेष सम्पूर्ण रकबा 0.3577 है0 स्थित ग्राम चमरौवली रामगढ परगना व तहसील–दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ0 प्र0 का मालिक व काबिज है।

उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है।उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) मे विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारो, विभिन्न प्रकार के, रहन, बधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से बरी व पाक व साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 31 रु0 2000
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740407

प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को रूपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः अपनी राजि खुशी से बिना किसी जोर दबाव, नाजायज के बय जरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाईशी, जिसका विस्तृत विवरण इस अभिलेख के अन्त मे दिया गया है। को बकीमती मुबलिग रूपया-- 46,66,000/ (छियालीस लाख छयासठ हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-- 23,33,000/(तेईस लाख तेतीस हजार सात सौ0 पचास रूपया मात्र) होते है। में वदहस्त एंकर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0, कार्यालय स्थित--1202,

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प न0 32 ... 2000
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740408

अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस0 बी0 सिंह पुत्र श्री एस0 पी0 सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी लखनऊ। (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि कि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त बखूबी करा दिया

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प न० 33 ... 2000

स्टाम्प नं० 29 ... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740409

6

अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या कोई हिस्सा व दावा उक्त विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का बाकी नही रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामे के समक्ष

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009
स्टाम्प न0 34 20
स्टाम्प नं0 29 ......में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740410

7

बिलकुल नाजायज शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उजर दारी या हक दारी से विक्रित भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले मिल्कीयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जावे, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा मार्ग गरशित निकले तो

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प न०...35...20.000...
स्टाम्प न०...29...में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740411

8

तमाम सूरतो में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेंवे कोई मुकाम उजर का न होगा। यदि विक्रय विलेख को पंजिकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की उक्त

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 36 ... 20000
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 740412

9

भूमि पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार ऋण शुल्क टेक्स लगान किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मागे जाते है तब विक्रेता उस राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी सम्पत्ति से वसूल लेगा विक्रित भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग राज मार्ग जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग पर स्थित नही

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 37 2009
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740413

है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नही है। विक्रित भूमि पर कोई पेड आदि नही लगा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है और जिसमे वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। विक्रित भूमि ग्राम <u>चमरावली रामगढ</u> परगना व तहसील दादरी जिला

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं० 38 2004
स्टाम्प नं० 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740414

गौतमबुद्धनगर उ0 प्र0 मे स्थित है विक्रित भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.3577 हेक्टेयर है, जिस की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा सर्किल रेट 85,00,000/रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से निधारित है, लेकिन स्टाम्प इस से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उक्त भूमि सिलिंग अथवा पटट्े नही है और न ही किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत की है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प न0 39 ... 2000

स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740415

अतः संस्थागत वित्त उ0 प्र0 सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग –5 अधिसूचना संख्या I–सं0 वि0 क0 नि0 –5–2756/11–2008–500(1165) / 2007 लखनऊ दिनांक– 30 जून 2008 के अनुसार, शेडयूल 1 के अनुसार विक्रय मूल्य पर मुबलिग रूपया 3,26,700/रू0 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 40 .... 20.40
स्टाम्प नं0 29 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740416

क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नही किया गया है। उक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थयी पता उपरोक्त अनुसार है। यदि किसी कारण

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 41 20000
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740417

14

यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी/न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल मय कानूनी ब्याज वसूल पाने का अधिकारी होगा है ।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
टाम्प नं0 42 20.09
टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

740418

मसौदाकर्ता ने मौका नही देखा है क्रेता विक्रेता के कथन के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है चस्पा फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये गये है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 43 20
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

316231

समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशो हवास व स्वस्थचित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर कर के बैनामे का निष्पादन किया ।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 54 1500
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप-कोषाधिकारी

06AA 047519

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता सं0–14 खसरा संख्या–39, रकबा 3.7280 हेक्टेयर मे अपना शेष सम्पूर्ण रकबा 0.3577 है0 स्थित ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील –दादरी जिला गौतमबुद्धनगर , उ0 प्र0

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 45 ... 100
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES
रू.1000 Rs.1000
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 410378

तफसील वसलूयाबी जरसमन

श्रीकिशन पुत्र श्री किशनलाल भूमि का तय शुदा मूल्य रूपया 46,66,000/(छियालीस लाख छयासठ हजार रूपया मात्र) निम्न प्रकार प्राप्त किया

1. चैक संख्या 645844 अंकन–30,00,000/रू0 (तीस लाख रूपये मात्र) दिनांक–22–09–09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक मिड कॉपरेट शाखा बारह खम्बा रोड नई दिल्ली के द्वारा
2. चैक संख्या 645845 अंकन–15,00,000/रू0 (पन्द्रह लाख रूपये मात्र) दिनांक–22–09–09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक मिड कॉपरेट शाखा बारह खम्बा रोड नई दिल्ली के द्वारा तथा मु0 1,66,000/रू0 नगद समक्ष गवहान के प्राप्त किये ।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 46 100
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 952727

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया–46,66,000/(छियालीस लाख छयासठ हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 42 500
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 006027

20

अब कोई भी धनराशि विक्रित आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नही रहा है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
22 SEP 2009
स्टाम्प नं0 48 ... 1/-
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप लेखाकार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 006028

21

विक्रेता   क्रेता

गवाह नं01— विक्रेता की तरफ से —राकेश पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ग्राम दतावली पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

गवाह नं02— क्रेता की तरफ से —गिरिश कुमार यादव पुत्र श्री एस0 डी0 यादव निवासी डी0एस0 लाल सिटी मकौडा रोड ग्राम तिलपता करनवास पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

दिनांक—23—09—2009—मसौदाकर्ता—जयपाल सिंह नागर एडवोकेट

टाईप कर्ता—

संदीप पाण्डे

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

22 SEP 2009

स्टाम्प नं0 49
स्टाम्प नं0 29 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

आज दिनांक 23/9/09 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 2294
के पृष्ठ 201 / 244 पर क्रम संख्या 10868
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी